कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला–सिवनी

जिले की वेब साईड पर विभागीय योजनाओं की जानकारी अद्यतन करने बावत।

क्रं.	योजना का नाम	योजना का संक्षिप्त विवरण	पात्रता	आवेदन कहाँ करें
1	फल पौध विकास योजना	योजना में आम, ऑवला, अमरूद एवं संतरा का बगीचा लगाने हेतु नाबार्ड द्वारा निर्धारित लागत का 25 अनुदान प्रति हेक्टर दिया जाता है।एक कृशक को न्यूनतम 0.500 हेक्टर एवं अधिकतम 2 हेक्टर लाभ दिया जाता है।	1. कृशक के पास स्वयं की सिंचित भूमि हो एवं कृशक बगीचा लगाने का इच्छुक हो। 2. भूमि का खसरा, नक ाा बी–1 देना होगा।	विकास खण्ड स्तर पर –उद्यान अधीक्षक / ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी
2	टॉपवर्किंग प्रि ाक्षण	बेरोजगार युवकों को दे ाी बेर, आम, ऑवला आदि पौधों में टॉप वर्किंग, बडिंग, ग्राफटिंग कार्य करने का 20 दिवसीय प्रि ाक्षण दिया जाता है, जिसमें उन्हें 1200रू.पारिश्रमीक एवं 400रू का टूलकिट दिया जाता है। उनके द्वारा किये गये कार्य पर 10रू. प्रति सफल ग्राफ्ट पौधे पारिश्रमीक दिया जाता है।	कोई भी युवक अथवा जो बडिंग ग्राफटिंग कार्य का इच्छा रखता हो, उन्हें प्रि ाक्षण दिया जाता है।	विकास खण्ड स्तर पर –उद्यान अधीक्षक / ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी
3	समन्वित सब्जी विकास योजना	संकर सब्जी की खेती करने हेतु 50% सामान्य एंव 75% अ.ज.जा., अ.जा. वर्ग के कृशके लिये अनुदान पर संकर सब्जी बीज प्रति हेक्टर लागत का अधिकतम क्रम ााः रू. 1500/– एंव 2250/– अनुदान दिया जाता है। जो अधीकतम एक हेक्टर प्रति कृशक देय है।	सभी कृशक जो सब्जी की खेती करते है। जिनके पास सिचाई का सुनि चीत साधन हो।	विकास खण्ड स्तर पर –उद्यान अधीक्षक / ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी
4	बाड़ी किचन योजना	राज्य भाासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु/सीमांत एवं खेतीहर मजदूरो को इस योजना के अन्तर्गत 50/– रू कीमत उन्नत सब्जी बीज (मिनिकिट) निः ाुल्क वितरण किये जाते हैं।	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु/सीमांत एवं खेतीहर मजदूरो/कृशको	विकास खण्ड स्तर पर –उद्यान अधीक्षक / ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी
5	मसाला विकास	मसाला वाली फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन को बढावा देने के उद्धे य से मसाला मिनिकिट की योजना प्रारंभ है। जिसमें धनिया, मिर्च, लहसुन, अदरक आदि के बीज मिनिकिट के रूप में नि ाुल्क सभी वर्ग के कृशकों को प्रदाय किये जाते है। योजनान्र्तगत धनिया, मिर्च 100/– अदरक 350/–, लहसुन 250/– प्रति मिनिकिट प्रदाय किया जाता हैं।	सभी वर्ग के कृशक जो मसाला फसलो की खेती करते है।	विकास खण्ड स्तर पर –उद्यान अधीक्षक / ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी
6	औषधि एवं सुगंधित योजना	योजनान्र्तगत सभी वर्ग के कृषकों को औशधी सुगंधीत फसलो के रकबे में वृद्धि हेतु जिले में उत्पादित फसले जैसे अ वगंधा, सर्पगंधा, चन्द्रसूर, सनाय, इसबगोल एवं अन्य प्रजाती के 100/–	सभी वर्ग के कृशक जो औशधी एंव सुगंधीत फसलो की खेती करते है।	विकास खण्ड स्तर पर –उद्यान अधीक्षक / ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी

		रू. किमत के बीज निः ुल्क प्रदाय किये जाते है।		
7	आलू प्रद िन	आलू के उत्पादन में वृद्धि हेतु योजनान्तर्गत सभी वर्ग के कृषकों को उन्नत नये–नये किस्मों का बीज प्रदाय किया जाता है। जिसमे 480/– बीज एवं 20/– की बीजोपचार दवा कुल 500/– प्रति प्रद िन निः ुल्क प्रदाय किया जाता है।	सभी वर्ग के कृशक जो आलू फसलो की खेती करते है।	विकास खण्ड स्तर पर –उद्यान अधीक्षक/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी
8	पुष्प प्रद िन	प्रदे । में पुश्पों की बढ़ती मांग एवं पुश्प की व्यवसायिक खेती से कम क्षेत्र में अधिक आमदानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए पुश्प प्रद िन की योजना प्रांरभ है। इसके तहत गुलाब, गेंदा, ग्लाडिया, ग्लेडिओलस, रजनीगंधा आदि प्रमुख पुश्प के उन्नत बीज/बल्व, कटिंग रोपण सामग्री के रूप में 400 वर्ग मीटर के प्रद िन दिये जाते है।जिसमें कुल लागत का 75% अथवा अधिकतम 3000/– का प्रति प्रद िन बीज/बल्व निः ुल्क दिया जाता हैं।	सभी वर्ग के कृशक जो पुश्प फसलो की खेती करते है।	विकास खण्ड स्तर पर –उद्यान अधीक्षक/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी
9	संकर मिर्च उत्पादन	योजना के तहत संकर मिर्च उत्पादन हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों हेतु संकर मिर्च उत्पादन की योजना में अधिकतम 0.500 हेक्टर तक प्रद िन पर 7000/– की सामग्री बीज, दवा, खाद के रूप में प्रति प्रद िन निः ुल्क दिया जाता है।	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों हेतु जिनके पास स्वयः की भूमि एंव सिचाई साधन हो।	विकास खण्ड स्तर पर –उद्यान अधीक्षक/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी
10	माईक्रोइरीगे ान योजना	योजनान्तर्गत लघु सिंचाई को बढ़ावा देने एंव कम पानी में अधीक सिचाई करने हेतु जिले में ड्रिप (टपक सिंचाई) एवं स्प्रींकलर पर प्रति हितग्राही को न्यूनतम 0.500 हेक्टर एवं अधिकतम 5 हेक्टर तक ड्रिप सयंत्र स्थापना में पौधों की दूरी अनुसार अनुदान दिया जाता है। सामान्य वर्ग को कुल लागत का 70% एवं अनु.ज.जाति/अनु.जाति वर्ग के कृशको हेतु 80% प्रति ात अनुदान दिया जाता है।	सभी वर्ग के कशक जिनके पास फलोद्यान का बगीचा एंव सिचाई का साधन हो।	विकास खण्ड स्तर पर –उद्यान अधीक्षक/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी
11	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना			
(1)	मल्टी स्टोरी आर्चड	बी.पी.एल.वर्ग के कृशकों को 45000/–रू. का अनुदान दिया जाता है। जिसके अन्तर्गत 1 एकड़ क्षेत्र में फैसिंग, विद्युत डीजल पम्प, हाईब्रिड पुश्प, सब्जी बीज एवं ड्रिप सिस्टम स्थापना हेतु अनुदान दिया जाता है।	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के कृशकों के लिये।	विकास खण्ड स्तर पर –उद्यान अधीक्षक/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी
(2)	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट	योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्ड अनुसार 600 वर्ग फिट की क्षमता वाला वर्मी	सभी वर्ग के कृशकों को जो जैविक उद्यानिकी	विकास खण्ड स्तर पर –उद्यान

		कम्पोस्ट यूनिट हेतु कुल लागत 30,000/-रू. का 50% अनुदान अथवा अधिकतम 15000/-रू. प्रति वर्मी कम्पोस्ट यूनिट पर दिया जाता है।	फसलों की खेती करते हो।	अधीक्षक/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी
(3)	प्लास्टिक क्रेटस वितरण	योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्ड अनुसार कुल 250/-रू लागत पर 50% अनुदान अथवा 125/- प्रति क्रेटस की दर से दिया जाता है।	सभी वर्ग के कृशकों को जो उद्यानिकी फसलों की खेती करते हो।	विकास खण्ड स्तर पर -उद्यान अधीक्षक/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी
(4)	पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार	योजनान्तर्गत आम के 25-30 वर्श, तथा नींबू एवं अमरूद के 12 वर्श पुराने बगीचों के जीर्णोद्धार के लिए प्रति कृशक 0.250 हेक्टर से 2 हेक्टर तक रू.15000/-रू. प्रति हेक्टर अनुदान की पात्रता होगी। योजनान्तर्गत पुराने बगीचों की उत्पादकता बढाना एवं कृशकों के हित में बगीचों को लाभदायक एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाना।	सभी वर्ग के कृशकों को जिनके पास पूराने फलाद्यान के बगीचे हो।	विकास खण्ड स्तर पर -उद्यान अधीक्षक/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी
(5)	जायद संकर बीज वितरण	भाासन द्वारा गरीब कृशकों को गर्मी में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु नदी नाले के बहते पानी एवं रिक्त पडी भूमि के समुचित उपयोग हेतु भांकर तरबूज/ खरबूज, ककड़ी आदि के संकर बीज एवं पादप नियामक हार्मोन्स पर भात्प्रति ात अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत कृशकों को 250/-रू. का संकर बीज एवं 150/-रू. का पादप नियामक हार्मोन्स की सामग्री निः ुल्क दी जाती है।	सभी वर्ग के कृशकों को जो उद्यानिकी फसलों की खेती करते हो।	विकास खण्ड स्तर पर -उद्यान अधीक्षक/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी
12	औषधि पौध मि ान	मध्य प्रदे ा राज्य औशधीय पौध मि ान योजनान्तर्गत औशधि पौधों के क्षेत्र विस्तार हेतु ऑवला पौध रोपण के तहत सभी वर्ग के कृशकों को योजना का लाभ दिया जाता है।योजनान्तर्गत कुल लागत 65,000/-रू. पर 20 प्रति ात 13,000/-रू. प्रति हेक्टर अनुदान सभी वर्ग के कृशकों को दिया जाता है।	सभी वर्ग के कृशकों को जो उद्यानिकी फसलों की खेती करते हो।	विकास खण्ड स्तर पर -उद्यान अधीक्षक/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी